SHRI YASHWANT SINHA: Where is that record? ...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is on record ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: No ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

"WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

आयकर कर्मचारी महासंघ(वर्ग-ग),नई दिल्ली द्वारा आन्दोलन किया जाना

*22.**श्री मुनव्वर हसन**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयकर कर्मचारी महासंघ(वर्ग-ग),नई दिल्ली मंडल ने अपनी मांगों के समर्थन में 3 नवम्बर,1998 को मयूर भवन स्थित अपने कार्यालय पर धरना व प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां,तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या हैं ;और

(ग) सरकार द्वारा अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय(बैंकिंग,राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर.जनार्दनन): (क) आयकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एंव सीमा शुल्क विभाग के "ख","ग" और"घ" समूह के स्थानीय कार्यालय पदाधिकारियों द्वारा 3.11.98 को मयूर भवन पर भोजनावकाश के दौरान 1.30 बजे दोपहर को एक एक गेट मीटिंग बुलाई गई थी।

(ख) कर्मचारी मुख्यत: 5वें वेतन आयोग द्वारा "ख","ग" और "घ" कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सिफारिश किए गए वेतनमानों के स्थान पर एवजी उच्च वेतनमानों की मांग कर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा मेरिट के आधार पर मांगों पर विचार किया जा रहा है।

Illegal drawal of power by West Bengal

*25. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "West Bengal steals power alleges NTPC" which appeared in Ananda Bazar Patrika dated the 14th October, 1998;

(b) whether CMD, NTPC had alleged illegal drawal of 80 to 100 MW power by West Bengal from Eastern Zone Grid, as reported;

(c) whether this allegation has been investigated by CEA;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether any action would be taken if the allegation is found wrong; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) Yes,

Sir.

(b) The CMD, NTPC has clarified that he did not make any such allegation.

(c) to (f) Do not arise.

स्थायी खाता संख्या दिया जाना

*26.**श्री कपिल सिब्बल**:

श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 31 अक्तूबर,1998 तक स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने के लिये 1.4 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि नहीं,तो इन आवेदनों की वास्तविक संख्या क्या है और क्या आवेदकों को स्थायी खाता संख्या देने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गयी हैं;

(ग) यदि हां,तो इस संबंध में क्या तिथि निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;और

(घ) स्थायी खाता विलम्ब से दिए जाने से होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक,लोक शिकातय और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग,राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर.जनार्दनन): (क) जी,हां।

(ख) 31.10.1998 की स्थिति के अनुसार देश भर में स्थायी खाता सं.के आवंटन के लिए कुल 1,51,07,026 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । इन आवेदनकर्त्ताओं को स्थायी खाता संख्या आवंटित किये जाने के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

(ग) दिल्ली,मुंबई और चेन्नई में क्षेत्रीय कम्प्यूट केन्द्रों द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को नई श्रृंखला के अंतर्गत 31.10.1998 तक स्थायी खाता सख्यां आवंटित की जानी थी और अन्य सभी आवेदनकर्त्ताओं को 31.03.1999 तक आन लाइन सिस्टम के माध्यम से स्थायी खाता संख्या आवंटित की जानी है । शेष देश में 70% आवेदकों को नई श्रृंखला के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या आवंटित की जानी है ?

(घ) नियम 114 ख के परन्तुक के अंतर्गत उन व्यक्तियों,जिन्होंने स्थायी खाता संख्याके आवंटन के लिए आवेदन किया था परन्तु जिन्हें स्थायी खाता संख्या अभी तक आवंटित नहीं की गई है,की असुविधा को दूर करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को तब तक सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या दर्शाये जाने की अनुमति दी गई है जब तक उसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की जाती है । इसके अलावा,नियम 114 ख के परन्तुक के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है अथवा जिसके पासा सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या नहीं है और जो किसी बैंक पर आहरित रेखांकित चैक की अपेक्षा नकद अथवा अन्य तरीके से भुगतान करता है अथवा किसी विशिष्ट लेन-देनों के बारे में रेखांकित बैक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता है जहां सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर संख्या की स्थायी खाता संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया गया है,वह फार्म सं. 60 में ऐसे लेन-देन का विवरण देते हुए सामान्य घोषण कर सकता है।

इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुरक्षा

*27 **श्री ईश दत्त यादव**:
प्रो.रामगोपाल यादव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 सितम्बर,1998 के "दैनिक जागरण" में "हवाई अड्डा माफिया -1" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां,तो इस पर सरसकार की क्या प्रतिक्रिया है;और

(ग) विदेश आने-जाने वाले लोगों को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर तैनात दिल्ली पुलिस व कस्टम विभाग के कर्मियों के गैंग के आतंक से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी ,हां।

(ख) की गई कार्रवाई का नीचे विस्तार से उल्लेख किया गया हैं:-

1.इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपतन के आब्रजन विभाग के प्रस्थान हाल के दायें खंड में 10/11 सितम्बर,1998 की रात्रि को उपनिरील क्षक तारिख अली खान नं.डी /3264 जो क्लीयरिंग अधिकारी के बतौर कार्यरत था,उसने कथित रूप से श्रीमती इरा गुप्ता,जो उड़ान संख्या एम.के.-745 से अपने पति के साथ मारिशस जा रही थी,के पासपोर्ट के वीसा पृष्ठ को फाड़ डाला । उपनिरीक्षक ने उनके विरूद्व एक आपराधिक मामला दर्ज करने की धमकी दी और दंपत्ति से 500 अमरीकी डालर ऐंठ लिए और उनको विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी । श्रीमती ईश गुप्ता की शिकायत पर उपनिरीक्षक के विरूद्व आई.जी.आई.विमानपतन थाने में धारा 384 आई.पी.सी.तथा 12 पी.पी.अधिनियम के अंतर्गत एफ.आई.सं.433/98 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे 13.9.98 को निलंबित कर दिया था इस मामले की जांच चल रही है । उनके विरूद्व एक नियमित विभागीय जांच की जा रही हैं । उपनिरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है।

2.दिनांक 12.1.98 को,उपनिरीक्षक विवेक महेश्वरी नं.डी /3133 जो आगमन हाल के दायें खंड में क्लीयरिंग अधिकार के बतौर कार्यरत था,ने कथित रूप से दो यात्रियों तथा बलदेव सिंह तथा करनैल सिंह जो मास्कों से यहां पहुंचे से 100 अमरीकी डालर ऐंठ लिए।